सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

Dispatch No. 143
Dated 14.03.2026
H.R.C. Patharchatta

उद्यान अनुसंधान केंद्र,पत्थरचट्टा

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,पंतनगर

खुली बोली के माध्यम से लाट सं0–08 (नाशपाती, कटहल व लीची क्षेत्र सं0– 6,7,15) बाग की बिक्री की सूचना

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर 01 फलत वर्ष हेतु दिनांक 01.04.2026 से 31.08.2026 तक लाट सं0–08 (नाशपाती, कटहल व लीची क्षेत्र सं0– 6,7,15) बाग की बिक्री हेतु खुली बोली/निगोशिएसन के माध्यम से दिनांक 18.03.2026 को नीलामी आयोजित की जानी है। खुली बोली में बोलीदाताओं को प्रतिभाग किये जाने के लिए लाट सं0–08 हेतु धरोहर धनराशि रू. 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा किये जाने होंगे, तदुपरान्त ही बोलीदाता खुली बोली में प्रतिभाग कर सकेंगे।

बाग का विवरणः–

विभाग का नाम	लाट सं0.	बागों का विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
एच0आर0सी0	लाट सं0–08	नाशपाती, कटहल व लीची क्षेत्र सं0-- 6,7,15	12 एकड़

खुली बोली की शर्तेः

1. बाग के ठेके की अवधि 31.08.2026 तक होगी।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बाग का भली–भांति निरीक्षण कर लें। बाग की बिक्री के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. दिनांक 18.03.2026 के प्रातः 09:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक लाट सं0–08 हेतु धरोहर धनराशि रू. 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करते हुये नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं।
4. उच्चतम बोलीदाता एवं द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि (बैंक ड्राफ्ट/नकद) को छोड़कर अन्य बोलीदाता द्वारा जमा की गयी, धरोहर राशि को बोली की समाप्ति के पश्चात् लौटा दिया जायेगा। साथ ही उच्चतम बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) जमा कर दी जाती है तो द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि (बैंक ड्राफ्ट/नकद) को वापस कर दिया जायेगा।
5. गठित समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त बोली को अस्वीकृत कर दें।
6. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) का बैंक ड्राफ्ट बोली की समाप्ति के पश्चात या एक दिन बाद अग्रिम के रूप में जमा करनी होगी यदि सफल बोलीदाता 40 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) जमा नहीं करता है तो जमा की गई धरोहर राशि (बैंक ड्राफ्ट/नकद) को जब्त कर लिया जायेगा।
7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली स्वीकृति हो जाने के उपरान्त केंद्र द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को बाग पर कब्जा दिये जाने से सम्बन्धित पत्र जारी कर इसकी सूचना ठेकेदार को पंजीकृत डाक/व्हाट्सअप के माध्यम से दी जायेगी। जिसके उपरान्त ठेकेदार द्वारा बाग पर कब्जा लिया जा सकेगा।
8. सफल बोलीदाता को विश्वविद्यालय में अपना पार्टी/वेन्डर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
9. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली धनराशि की 40 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) दिनांक 31.05.2026 तक जमा करनी होगी।
10. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली धनराशि की शेष 20 प्रतिशत धनराशि (तृतीय/अंतिम किस्त) फल तुडाई से पूर्व जमा करनी होगी, इस धनराशि में पूर्व में खुली बोली में प्रतिभाग करने हेतु जमा की गई धरोहर धनराशि को समायोजित कर लिया जायेगा। साथ ही सफल बोलीदाता को फल तुड़ाई से पूर्व उच्चतम बोली धनराशि की 10 प्रतिशत सुरक्षा धनराशि (Security Money) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। जिसको ठेके की समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार को नियमानुसार लौटा दिया जायेगा।
11. यदि सफल बोलीदाता द्वितीय एवं तृतीय किस्त जमा करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा पहले जमा किया गया धरोहर राशि एवं प्रथम किस्त 40 प्रतिशत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
12. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली धनराशि की सभी किस्तों का भुगतान आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय के खाते में जमा करना होगा।
13. सफल बोलीदाता द्वारा उच्चतम धनराशि की किस्ते निर्धारित तिथि (समय अवधि) तक जमा न करने की स्थिति में निर्धारित तिथि के अगले दिन से 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा।
14. सफल बोलीदाता किसी अन्य को बाग नहीं बेच सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो, सफल बोलीदाता का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14/03/2026

Joint Director
H.R.C. Patharchatta

सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

16. शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु ठेकेदार को फलों की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को देनी होगी। केन्द्र द्वारा शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु फलों की निम्नलिखित मात्रा आवश्यकतानुसार ली जायेगी।

क्र0 सं0	फल बाग का नाम	लाट संख्या	प्रक्षेत्र संख्या	शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु दिये जाने वाले फलों की मात्रा (वर्ष 2026)	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
1.	नाशपाती कटहल व लीची	08	06, 07, 15	नाशपाती 150 कि0ग्रा0 लीची 100 कि0ग्रा0 व कटहल 50 कि0ग्रा0	100 फल 100 फल –

17. सफल बोलीदाता द्वारा शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले फलों की पूरी मात्रा केन्द्र को न दिये जाने की स्थिति में सफल बोलीदाता को उक्त की भरपाई समिति द्वारा निर्धारित फल दरों के अनुसार केंद्र कार्यालय में जमा करना होगा।
18. ठेके की शर्तों के पालनार्थ सफल बोलीदाता को स्वयं के व्यय पर प्राधिकृत अधिकारी, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के साथ रु. 100/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध कराना होगा।
19. सफल बोलीदाता को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस द्वारा दिया गया हो बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र कार्यालय में जमा करना होगा। तथा बाग में कार्य करने वाले कर्मियों का पहचान सम्बन्धि पत्र आधार कार्ड केन्द्र कार्यालय में जमा करना होगा।
20. अनुसंधान वाले पेड़ों/बागों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी/वैज्ञानिक की उपस्थिति में की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके सफल बोलीदाता को अवगत् करा दिया जायेगा। अगर सफल बोलीदाता अनुसंधान वाले पेड़ों की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या सम्बन्धित वैज्ञानिक की अनुपस्थिति में करता है, तो सफल बोलीदाता से उचित क्षतिपूर्ति की भरपाई की जा सकती है, जुर्माना लिया जा सकता है। सफल बोलीदाता से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए फल परियोजना समन्वयक/वैज्ञानिक/परियोजनाधिकारी की संस्तुति को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।
21. सफल बोलीदाता द्वारा बागों में लगे वृक्षों का कटान नहीं किया जायेगा और न ही उनकी टहनियों की कॉट–छॉट की जायेगी।
22. केंद्र द्वारा नर्सरी में फल–पौध तैयार करने हेतु आम, प्लम एवं नाशपाती बाग से साइन लेने एवं लीची बाग में एयर लेयरिंग बांधने पर सफल बोलीदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
23. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त सफल बोलीदाता को केन्द्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता अथवा उसका प्रतिनिधि केन्द्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है, तो सम्बन्धित सफल बोलीदाता से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
24. उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर उपलब्ध सिंचाई साधनों के माध्यम से शोध के अर्न्तगत बागों में सिंचाई की जाती है। शोध प्लाटों के अतिरिक्त सिंचाई से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
25. सफल बोलीदाता को बागों की जुताई, सिंचाई, खाद डालना, रसायन का स्प्रे एवं सुरक्षा चौकीदारी की व्यवस्था इत्यादि समस्त कार्यों की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। सफल निविदादाता को बागों में रसायन (फफूंदीनाशक/कीटनाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि सफल निविदादाता द्वारा बिना अनुमति के किसी रसायन/कीटनाशक का छिड़काव वृक्षों पर करने के उपरान्त वृक्ष सूखता है अथवा फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का आंकलन केंद्र द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा एवं सम्बन्धित सफल बोलीदाता से वसूली की जायेगी।
26. सफल बोलीदाता को किसी भी सामग्री/फल को केंद्र से बाहर ले जाने हेतु केंद्र कार्यालय से गेट–पास प्राप्त करना होगा, बिना गेट–पास के केंद्र से कोई सामान बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
27. सफल बोलीदाता बाग में किसी अन्य फसल का उत्पादन नहीं कर सकता है।
28. सफल बोलीदाता को केंद्र के मुख्य द्वार का ही उपयोग करना होगा। किसी नये रास्ते का निर्माण अथवा बाउण्ड्री को तोड़कर अपना सामान/फल ले जाने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो सफल बोलीदाता पर दण्ड/जुर्माना लगाया जायेगा।
29. सफल बोलीदाता को उक्त सभी शर्तो का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि सफल बोलीदाता नियमों/शर्तो का पालन नहीं करता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

ठेकेदार को उपरोक्त सभी शर्तों का पालन कडाई से करना होगा।

14/03/2026

Joint Director
H.R.C. Patharchatta